न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार — अपीलाण्ट

बनाम

भंवरसिंह पुत्र श्री कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटाखुर्द थाना बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली(राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक 08.01.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.03.2015 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है किन्तु रेस्पोण्डेण्ट द्वारा समय सीमा में अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर न्याय अनुभाग के पत्रांक न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था इस निर्णय के खिलाफ रेस्पोण्डेण्ट अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 23.05.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली दर्ज पंजिका कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की गई।

रेस्पोडेण्ट श्री भंवरसिंह ने अपने मौखिक जबाव कथन में निवेदन किया है कि मेरा बेटा आर्मी में है। मै वहां चला गया। मुझे इन सूचनाओं का पता नहीं चला। जानकारी करने पर पता लगा कि मेरा अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया गया है। मेरे द्वारा जानकारी होने के बाद शस्त्र को थाने में जमा करा दिया गया है। अनुज्ञापत्र बहाल फरमाया जावें तथा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है।

उभय पक्षकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट का मनन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा समय सीमा पर हथियार थाने में जमा नहीं कराने पर अन्य अनुज्ञापत्रों में इसको भी नियमानुसार निलंबित किया गया है तथा जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अब कोई आपत्ति नहीं जताई है।

रेस्पोण्डेण्ट/श्री राजपूत ने अपने बहस कथन में अपने जबाव को ही बहस मानकर निवेदन किया है कि मेरा बेटा आर्मी में है और राजस्थान से बाहर है वहां पर राजस्थान के अखबारों में प्रकाशित समाचार ज्ञात नहीं हो पाते है जिसके कारण मुझे भी समय पर शस्त्र थाने में जमा कराने की सूचना नहीं मिल पाई। जानकारी होते ही मेरे द्वारा शस्त्र को थाने में जमा करा दिया गया। मेरे अनुज्ञापत्र को बहाल फरमाया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करने पर पाया गया है कि रेस्पोण्डेण्ट के कथानुसार वह अपने फौजी बेटे के पास था जो

राजस्थान से बाहर होने पर राजस्थान की सूचनायें बाहर प्राप्त नही हुई है तथा जिला पुलिस अधीक्षक के पत्रांक ल–1 () श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/11900 से दिनांक 24.10.2019 के द्वारा शस्त्र को दिनांक 13.11.2017 से शस्त्र का थाना बालघाट में जमा होना एवं शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीबद्ध एवं विचाराधीन नहीं होना अंकित किया है साथ अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के संबंध में अनापत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। हम रेस्पोण्डेण्ट के कथनों से सहमत है।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2015 श्री भंवरसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटाखुर्द थाना बालघाट जिला करौली के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं श्री राजपूत को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 143370/88 बहाल किया जाता है प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग उक्त अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:34:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: